प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर महराजगंज।

वाद संख्या:- 76/013 — अन्तर्गत धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम
मौजा-बागापार तप्पा-छछरा परगना-हवेली
तहसील-सदर जनपद-महराजगंज।

आशीष प्रताप सिंह----बनाम----सरकार

आदेश

प्रश्नगत कार्यवाही आशीष प्रताप सिंह पुत्र देव प्रताप सिंह निवासी ग्राम बागापार द्वारा धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि मौजा बागापार स्थित आ0नं0 4606 रकबा-1.016हे0 जरिये बैनामा प्राप्त किया गया है। उक्त भूखण्ड में कैलाश किशोर देव प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय [illegible] बागापार द्वारा श्री ठाकुर श्यामबिहारी प्रशिक्षण संस्थान जरिये प्रबंधक श्री आशीष प्रताप सिंह का निर्माण हो चुका है, तथा विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त अपने अस्तित्व में है तथा उसमें पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड अब कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। वादी द्वारा उक्त भूखण्ड को अकृषिक आबादी भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर तहसीलदार सदर से स्थलीय जांच आख्या मंगायी गयी। तहसीलदार सदर द्वारा इसकी जांच हल्का लेखपाल एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से कराई गई, उनकी आख्या को अपनी संस्तुति सहित दिनांक 25.4.13 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि विवादित भूखण्ड में विद्यालय का भवन बना हुआ है, तथा शेष भूमि प्रांगण के रूप में है। भूमि मौके पर अकृषिक है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित भूखण्ड संख्या 4606मि. रकबा-1.016हे0 के अंकित खातेदार है, और उक्त भूखण्ड में स्नातकोत्तर विद्यालय स्थापित होकर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है, जिससे निर्विवाद रूप से कृषि भूमि की परिभाषा में नहीं रह गयी है। चूंकि उक्त आराजी मौके पर अकृषि भूमि की परिभाषा में है, उक्त भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आवेदन खातेदार द्वारा ही विवादित भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु धारा-143 उ0प्र0ज0वि0अधि0 के प्राविधानों के अनुसार किया गया है, इसलिये भूखण्ड को गैर कृषि प्रयोजन भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः मौजा-बागापार तप्पा-छछरा परगना-हवेली तहसील-सदर महराजगंज स्थित आ0नं0 4606 रकबा-1.016हे0 को गैर कृषि प्रयोजन भूमि घोषित किया जाता है। परवाना जारी किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

प्रबंधक

Principal
K.K.T. College of Pharmacy
Bagapar, Maharajganj